

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 843/2012.....जिला.....उदयपुर.....

उनवान- मै0 जी आर इन्फ्राप्रोजेक्ट लि0 उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वर्क्स कान्स्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, उदयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुकम की तामी में जारी हुए
30.03.2015	<p style="text-align: center;">खण्डपीठ श्री मनोहरपुरी - सदस्य श्रीमती आशा कुमारी - सदस्य</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी के अभिभाषक श्री वी के पारीक, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवसायी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे अभिभाषक ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते है।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अभिभाषक श्री वी के पारीक के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(आशा कुमारी) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">(मनोहर पुरी) सदस्य</p>